भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. 2021/सुरक्षा.(सीसीबी)/45/64 बैड वर्क

दिनांक: 11/3/2022

सेवा में,

प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त, रेल सुरक्षा बल
सभी क्षेत्रीय रेलें, रे.सु.वि.ब., मेट्रो रेल/कोलकाता, सभी उत्पादन इकाइयां,
मुख्य सुरक्षा आयुक्त, कोर,
मुख्य सुरक्षा आयुक्त, कोंकण रेलवे,
मुख्य सुरक्षा आयुक्त, निर्माण उ.रे., पू.त.रे.,
निदेशक/जगजीवन राम, रे.सु.ब. अकादमी, लखनऊ,
निदेशक/रे.सु.ब. प्रशिक्षण केंद्र, मौलाअली और खड़गपुर,
मुख्य सुरक्षा आयुक्त/ अनुसंधान रचना और मानक संगठन ।

**सुरक्षा परिपत्र सं. 01/2022**

**विषय :** रे.सु.ब./रे.सु.वि.ब. कर्मियों के भ्रष्ट कार्यों में लिप्त होने के मामलों में पर्यवेक्षी अधिकारियों और सीआईबी/एसआईबी/आईवीजी के अधिकारियों के खिलाफ की जाने वाली कार्यवाही।

हाल ही में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो/राज्य पुलिस के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा रिश्वत मांगते/स्वीकार करते हुए आरपीएफ कर्मियों को रंगे हाथों पकड़े जाने के मामलों में वृद्धि देखी गई है। ऐसी घटनाओं से रेलवे सुरक्षा बल (रे.सु.ब.) और भारतीय रेल की छवि धूमिल होती है और कई रे.सु.ब./रे.सु.वि.ब. कर्मियों द्वारा दिन-रात की कड़ी मेहनत के बाद किए गए अच्छे कार्यों से बनाई गई बल की छवि धूमिल हो जाती है ।

रे.सु.ब. कर्मियों द्वारा अवांछनीय गतिविधियों को रोकने हेतु पर्यवेक्षी अधिकारियों के लिए विस्तृत दिशानिर्देश दिनांक 02.03.2021 के सुरक्षा परिपत्र सं. 01/2021 के द्वारा पहले ही परिपत्रित किए गए थे। ऐसा महसूस किया जा रहा है कि उक्त का अक्षरश: पालन नहीं किया जा रहा है। पर्यवेक्षी अधिकारी अपने अधीनस्थों की गतिविधियों में त्रुटिरहित पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा बनाए रखने के अपने कर्तव्यों में असफल रहे हैं। जिन अधिकारियों को, रे.सु.ब. अधिकारियों/कर्मचारियों की आपत्तिजनक गतिविधियों की सूचना देने का कार्य सौंपा गया है, वे प्राधिकारी भी हमारे बीच ऐसे आपत्तिजनक गतिविधियों में संलिप्त रहने वालों की सूचना नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण बल की प्रतिष्ठा और छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। किसी भी संस्था पर प्रतिकूल प्रहार करने से पहले बुराई पर्याप्त चेतावनियाँ देती है। बहरहाल, हमें चेतावनी देने का कार्य सौंपे गए "सेंसरों" से चेतावनियाँ नहीं मिल रही हैं। अब समय आ गया है कि हम संगठन की छवि धूमिल करने वाले कर्मियों और ऐसे कर्मियों, जिन्हें उनके बारे में पहले ही सूचित करना अनिवार्य था, पर करने में

9/2022

असफल रहे, पर कड़ी कार्यवाही करें। अतः, ऊपर उल्लेखित सुरक्षा परिपत्र में निहित दिशानिर्देशों के अतिरिक्त कड़ाई से अनुपालन करने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किये जा रहे हैं -

1. यदि रे.सु.ब./रे.सु.वि.ब. के कर्मी द्वारा किसी भी भ्रष्ट कार्य करने की कोई घटना सामने आती है, तो अनुशासनिक प्राधिकारी को संगत अनुशासन एवं अपील नियमों के अंतर्गत अपराधी के खिलाफ सख्त, तत्काल और उदाहरणीय विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करनी चाहिए। अनुशासनिक कार्यवाही का निपटान सतत् बैठकों में संबन्धित अनुशासन एवं अपील नियम के अन्तर्गत जाँच कराकर, गहन निगरानी करते हुए प्राथमिकता से किया जाना चाहिए।
2. तत्काल पर्यवेक्षक (उपरोक्त के अतिरिक्त) ही उन कर्मियों का सतर्कता अधिकारी होता है जिन्हें वह कमांड करता है। यह उसकी ज़िम्मेदारी है कि उसके अधीन सभी रे.सु.ब. कर्मी त्रुटिहीन सत्यनिष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन के लिए तत्काल पर्यवेक्षक की पहचान निम्नानुसार की जाएगी :

   i) जहां बल को रे.सु.वि.ब. जैसी कंपनी और प्लाटून अथवा रे.सु.ब. कंपनियों के रूप में संगठित किया जाता है, निम्नलिखित अधिकारियों को तत्काल पर्यवेक्षक माना जाएगा:

| क्र.सं. | अधीनस्थ | तत्काल पर्यवेक्षक |
|---|---|---|
| 1 | रे.सु.ब./रेसु.वि.ब. प्लाटून के जवान | वरिष्ठ समादेशक, वरिष्ठ मण्डल सुरक्षा आयुक्त द्वारा नामित प्लाटून कमांडर / उपनिरीक्षक/ सहायक उप निरीक्षक |
| 2 | प्लाटून कमांडर | कंपनी इंचार्ज के रूप में तैनात या उसके कर्तव्यों की देखरेख करने वाला कंपनी कमांडर या निरीक्षक/ उपनिरीक्षक |
| 3 | कंपनी इंचार्ज के रूप में तैनात या उसके कर्तव्यों की देखरेख करने वाला कंपनी कमांडर या निरीक्षक/ उपनिरीक्षक | वरि. समादेशक / समादेशक (रे.सु.वि.ब.) वरि. मण्डल सुरक्षा आयुक्त (मंडल) या सुरक्षा आयुक्त (उत्पादन इकाइयों के मामले में) द्वारा तत्काल पर्यवेक्षक के रूप में नामित सहायक सुरक्षा आयुक्त/ सुरक्षा आयुक्त |

   ii) जहां बल पोस्ट/आउट पोस्ट के रूप में संगठित है, वहां निम्नलिखित अधिकारियों को तत्काल पर्यवेक्षक माना जाएगा :

| क्र.सं. | अधीनस्थ | तत्काल पर्यवेक्षक |
|---|---|---|
| 1. | आउट पोस्ट पर कार्यरत रे.सु.ब. कर्मी | सहायक उप निरीक्षक / उप निरीक्षक / निरीक्षक (आउट पोस्ट प्रभारी के रूप में कार्यरत) |

| | | |
|---|---|---|
| 2. | पोस्ट पर कार्यरत रे.सु.ब. कर्मी | इस सुरक्षा परिपत्र के प्रयोजन के लिए वरि. मण्डल सुरक्षा आयुक्त/ मण्डल सुरक्षा आयुक्त द्वारा उनके तत्काल पर्यवेक्षक के रूप में नामित एक उपनिरीक्षक/ सहायक उप निरीक्षक जैसा आवश्यक हो, पोस्ट/यूनिट के कुल कर्मियों को वहां तैनात उपनिरीक्षक/ सहायक उप निरीक्षक के बीच बाँट दिया जाए ताकि प्रत्येक छोटे दल का गहन पर्यवेक्षण किया जा सके। |
| 3. | पोस्ट में कार्यरत उपनिरीक्षक/ सहायक उप निरीक्षक | पोस्ट प्रभारी के रूप में तैनात या उसके कर्तव्यों की देखरेख कर रहा निरीक्षक अथवा उप निरीक्षक । |
| 4. | पोस्ट प्रभारी के रूप में तैनात या उसके कर्तव्यों की देखरेख कर रहा निरीक्षक अथवा उप निरीक्षक | मण्डल सुरक्षा आयुक्त/ वरि. मण्डल सुरक्षा आयुक्त (मंडल) अथवा सुरक्षा आयुक्त/वरि. सुरक्षा आयुक्त(उत्पादन इकाइयों के मामले में) द्वारा तत्काल पर्यवेक्षक के रूप में नामित सहायक सुरक्षा आयुक्त |
| 5. | पोस्ट के अलावा मंडल में सीआईबी या एसआईबी या इकाइयों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी | यूनिट प्रभारी<br>जैसा आवश्यक हो, पोस्ट/यूनिट के कुल कर्मियों को वहां तैनात उपनिरीक्षक/ सहायक उप निरीक्षक के बीच बांट दिया जाए ताकि प्रत्येक छोटे समूह का गहन पर्यवेक्षण किया जा सके। |
| 6. | पोस्ट के अलावा मंडल में यूनिट का प्रभारी | मण्डल सुरक्षा आयुक्त/वरि. मण्डल सुरक्षा आयुक्त (मंडल) अथवा सुरक्षा आयुक्त /वरि. सुरक्षा आयुक्त (उत्पादन इकाइयों के मामले में) द्वारा तत्काल पर्यवेक्षक के रूप में नामित सहायक सुरक्षा आयुक्त |
| 7. | क्षेत्रीय मुख्यालयों की विभिन्न यूनिटों में कार्यरत कर्मचारी | क्षेत्रीय मुख्यालयों में यूनिट प्रभारी के रूप में तैनात निरीक्षक या उप निरीक्षक |
| 8. | प्रशिक्षण केन्द्रो /कोर/अअमासं/कोंकण रेलवे में तैनात कर्मचारी/अधिकारी | प्रशिक्षण केन्द्रो के निदेशक/प्रधान या इन इकाइयों के रे.सु.ब. प्रभारियों द्वारा इसी तर्ज़ पर निर्णय लिया जाए। |

9/2022

iii) राजपत्रित अधिकारियों के लिए तत्काल पर्यवेक्षकों की पहचान निम्नानुसार की जाएगी:-

| क्र.सं. | अधीनस्थ | तत्काल पर्यवेक्षक |
|---|---|---|
| 1 | बटालियन/मंडल/उत्पादन इकाइयों में सहायक सुरक्षा आयुक्त / सहायक समादेशक | क) वरि. समादेशक / समादेशक /वरि.म.सु.आयुक्त/ मंडल सुरक्षा आयुक्त या सुरक्षा आयुक्त/वरि. सुरक्षा आयुक्त (उत्पादन इकाइयों के मामले में) उन मंडलों के जहां सहायक सुरक्षा आयुक्त, सुरक्षा आयुक्त को रिपोर्ट करता है और सुरक्षा आयुक्त, वरि. मण्डल सुरक्षा आयुक्त को रिपोर्ट करता है।<br>ख) सुरक्षा आयुक्त, उन मंडलों में जहां सहायक सुरक्षा आयुक्त, सुरक्षा आयुक्त को रिपोर्ट करता है और सुरक्षा आयुक्त, वरि.मण्डल सुरक्षा आयुक्त को रिपोर्ट करता है। |
| 2 | सुरक्षा आयुक्त/वरि. सुरक्षा आयुक्त, जहां वह वरि. मण्डल सुरक्षा आयुक्त (मंडलों) या प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त (उत्पादन इकाइयों) को रिपोर्ट करता है। | वरि. मण्डल सुरक्षा आयुक्त (मंडलों) या प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त (उत्पादन इकाइयों के मामले में) जैसा भी मामला हो। |
| 3 | क) क्षेत्रीय/रे.सु.वि.ब. मुख्यालयों में सहायक सुरक्षा आयुक्त, सहायक समादेशक<br>ख)जगजीवनराम/रे.सु.ब. अकादमी में सहायक सुरक्षा आयुक्त<br>ग)प्रशिक्षण केंद्र/मौला अली में सहायक सुरक्षा आयुक्त<br>घ) क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों में सहायक सुरक्षा आयुक्त (प्रधान) (मौलाअली/खड़गपुर के अलावा)<br>ङ) क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों में सहायक सुरक्षा आयुक्त (द्वितीय कमांड अधिकारी)<br>च) प्रशिक्षण केंद्र/खड़गपुर में | क) प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा नामित वरिय वेतनमान/कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी (यदि उपलब्ध हो), यदि वरीय वेतनमान/कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी उपलब्ध नहीं हो तब मुख्य सुरक्षा आयुक्त सीएससी।<br>ख) वरि. सुरक्षा आयुक्त /प्रशिक्षण, जगजीवनराम/रे.सु.ब. अकादमी<br>ग)आईजी- प्रशिक्षण केंद्र/मौला अली<br>घ)क्षेत्र का मुख्य सुरक्षा आयुक्त<br>ङ)क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र का आईसी (कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड का वरीय वेतनमान)<br>च) आईजी- प्रशिक्षण केंद्र / खड़गपुर |

| | | |
|---|---|---|
| | सुरक्षा आयुक्त (द्वितीय कमांड अधिकारी) | |
| 4 | क) क्षेत्रीय रेलों/रे.सु.वि.ब. मुख्यालयों में वरीय वेतनमान/कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी<br>ख) वरि. समादेशक / प्रशिक्षण, जगजीवन राम रे.सु.ब. अकादमी<br>ग) प्रशिक्षण केंद्र के वरीय वेतनमान/कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी (आईसी) | क) क्षेत्रीय रेलों/रे.सु.वि.ब. के मुख्य सुरक्षा आयुक्त<br>ख) उप महा निरीक्षक/जगजीवन राम रे.सु.ब. अकादमी<br>ग) क्षेत्रीय रेलो के मुख्य सुरक्षा आयुक्त |
| 5 | क) क्षेत्रीय रेलों /रे.सु.वि.ब. के मुख्य सुरक्षा आयुक्त<br>ख) उप महा निरीक्षक / जगजीवनराम रे.सु.ब. अकादमी | क) क्षेत्रीय रेले /रे.सु.वि.ब. के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त<br>ख) महा निरीक्षक / जगजीवनराम रे.सु.ब. अकादमी |

3. तत्काल पर्यवेक्षकों द्वारा रे.सु.ब./रे.सु.वि.ब. कर्मियों की गतिविधियों पर निगरानी में अपेक्षित कार्यवाही निम्नानुसार संलग्न है -

   क) तत्काल पर्यवेक्षकों को अपने अधीनस्थों की गतिविधियों की गहन निगरानी करनी चाहिए और यदि किसी भ्रष्ट कार्य या अपराध में उनकी संलिप्तता की जानकारी सत्यापित हो जाती है तो गोपनीय रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि करते हुए इसकी सूचना उसके तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को तुरंत दी जानी चाहिए। उसकी नियमित जाँच करते हुए तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को प्रगति से सूचित किया जाना चाहिए तथा जाँच का रिकॉर्ड संबंधित अभिलेख में रखा जाना चाहिए।

   ख) यदि तत्काल पर्यवेक्षक के अधीनस्थ को भ्रष्ट कार्यों में संलिप्त पाया जाता है, तो लापरवाही और पर्यवेक्षण में ढिलाई/लापरवाही के लिए तत्काल पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

4. पर्यवेक्षी अधिकारियों के दूसरे चरण की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है और उपरोक्त जाँच (तत्काल पर्यवेक्षी रैंकों के) के अलावा, सभी मामलों में उनकी जवाबदेही का आकलन और आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही की जानी चाहिए।

5. रे. स. (अ. क.) अधिनियम और रेल अधिनियम के मामलों की जाँच में दुराचार की संभावनाओं को कम करने के लिए, पर्यवेक्षी अधिकारी निम्नलिखित उपायों को लागू कर सकते हैं-

   क) जाँच किए जा रहे आपराधिक मामलों की केस डायरियाँ निरंतर लिखी जानी चाहिएं।

ख) जहाँ जाँच अधिकारी स्वयं पोस्ट कमांडर नहीं है, ऐसी स्थिति में केस डायरी, मामले के जाँच अधिकारी द्वारा पोस्ट कमांडर के समक्ष केस डायरी लिखने की तिथि की अगली तिथि को प्रस्तुत करनी चाहिए।

ग) यदि जाँच अधिकारी स्वयं पोस्ट कमांडर है तो उसे केस डायरी सीडी लिखने की तिथि से अगली तिथि को सहायक सुरक्षा आयुक्त को प्रस्तुत करनी चाहिए।

घ) जिस अधिकारी को केस डायरी प्रस्तुत की जाती है, उसे इसकी सावधानीपूर्वक जाँच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मामले के जाँच अधिकारी द्वारा किसी भी कदाचार के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। जाँच अधिकारी को उपयुक्त रूप से मार्गदर्शन दी जानी चाहिए ।

ङ) अंतिम केस डायरी और प्रस्तावित शिकायत प्रस्तुत करने के समय मामले की समीक्षा के दौरान पूरे मामले की सावधानीपूर्वक जाँच की जाए और यदि ऐसा प्रतीत होता है कि जाँच अधिकारी द्वारा जानबूझ कर कोई लोप या कृत्य या संदिग्ध गतिविधि की गई है तो उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

6. सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा बढ़ाने के लिए पर्यवेक्षी अधिकारी निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं :-

क) संवेदनशील स्थानों अर्थात् जन संपर्क क्षेत्र और बीट्स पर, जहां भ्रष्टाचार की संभावनाएं अधिक है, पर इयूटियों का क्रमावर्तन (रोटेशन) सुनिश्चित किया जाना चाहिए और पोस्ट कमांडरों/कंपनी कमांडरों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रति परीक्षण (क्रॉस-चेक) किया जाना चाहिए।

ख) दिनांक 16.09.2021 के सुरक्षा परिपत्र सं. 05/2021 के तहत पहले यथा निर्देशित रे.सु.ब./रे.सु.वि.ब. कर्मियों द्वारा निजी नकद घोषणा की प्रक्रिया और इसकी क्रॉस-चेकिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

ग) संवेदनशील स्थानों और जनता के साथ जन संपर्क क्षेत्रों पर तैनाती से पहले किसी भी व्यक्ति को दिए गए वार्षिक उपलब्धि आंकलन रिपोर्ट (एपीएआर) और दंडों की जाँच की जानी चाहिए।

7. अपराध शाखा (खुफिया और जाँच), विशेष आसूचना शाखा (एसआईबी) और आंतरिक सतर्कता ग्रुप (आईवीजी) के प्रभारियों को उनकी ज़िम्मेदारी वाले क्षेत्र में कार्यरत रे.सु.ब. कर्मियों के पूर्ववृत्त की सूचना देने का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है। उनके द्वारा रे.सु.ब. कर्मियों की भ्रष्ट/अवैध/आपत्तिजनक गतिविधियों पर नज़र रखने की अपेक्षा की जाती है ताकि समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। गहन जाँच करने के लिए, इन स्थानों पर तैनात उप निरीक्षक/सहा. उप निरीक्षक को नज़र रखने के लिए कर्मियों के एक समूह (चाहे वह पोस्ट/आउट पोस्ट आदि हो) को सौंप दिया जाए।

8. अपराध शाखा (डी एंड आई), आंतरिक सतर्कता ग्रुप (आईवीजी) और विशेष आसूचना शाखा (एसआईबी) के यूनिट प्रभारी अपने उत्तरदायित्व के क्षेत्र में कार्यरत सभी रे.सु.ब./रे.सु.वि.ब. कर्मियों के साथ बातचीत करनी चाहिए और संदिग्ध गतिविधियों को संगत रजिस्टरों में दर्ज करना चाहिए तथा कमांड संरचना में अपने वरिष्ठ को तत्काल सूचित करना चाहिए। अपराध

शाखा (डी एंड आई), आंतरिक सतर्कता ग्रुप (आईवीजी) और विशेष आसूचना शाखा (एसआईबी) के ससुआ प्रभारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस संबंध में उनकी यूनिट को सौंपी गई ज़िम्मेदारियों का निर्वहन उनकी संबंधित यूनिट द्वारा किया जा रहा है। इस संबंध में आई किसी भी कमी को सुधारात्मक कार्यवाही के साथ तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए।

9. यदि कोई रे.सु.ब. कर्मी भ्रष्ट कार्यों में लिप्त पाया जाता है तो उपरोक्त पदाधिकारियों [अपराध शाखा (खुफिया एवं जाँच), विशेष आसूचना शाखा (एसआईबी) और आंतरिक सतर्कता ग्रुप (आईवीजी)] की ओर से हुई लापरवाही की ज़िम्मेदारी की भी जाँच की जा सकती है और यदि ज़िम्मेदार पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी मौजूदा अपील एवं अनुशासन नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जानी चाहिए।
10. प्रमुसुआ को रे.सु.ब./रे.सु.वि.ब. के सभी संबंधित अधिकारियों की ज़िम्मेदारी तय करते हुए विस्तृत और न्यायशील जाँच सुनिश्चित करनी चाहिए जिसमें फंसे रे.सु.बल के कर्मचारी का तत्काल पर्यवेक्षी अधिकारी, आंतरिक सतर्कता ग्रुप (आईवीजी),
11. अपराध शाखा (गुप्तचर और जाँच) और विशेष आसूचना शाखा (एसआईबी) के यूनिट प्रभारी शामिल हैं। इस परिपत्र के पैरा 4 और 5 की तथा दिनांक 02.03.2021 के सुरक्षा परिपत्र सं. 01/2021 के प्रावधानों की अवमानना तथा इस सुरक्षा परिपत्र के पैरा 4, 5, और 6 के उल्लंघन के लिए अन्य पर्यवेक्षी अधिकारियों (तत्काल पर्यवेक्षी अधिकारियों के अतिरिक्त) के उत्तरदायित्व की भी जाँच की जाए। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ डी एंड एआर नियमों के तहत उपयुक्त कार्यवाही की जानी चाहिए।
12. भ्रष्टाचार के मामलों को छिपाना, इस संबंध में अपनी ज़िम्मेदारी त्यागना और सत्यनिष्ठा लागू करने में ढिलाई को स्वाभाविक रूप से अधीनस्थों के कार्य में मौन सहभागिता के रूप में माना जाएगा।

कर्तव्यों के इस पहलू को पूरी ईमानदारी के साथ लिया जाना चाहिए चूंकि यह पर्यवेक्षण के विभिन्न स्तरों के समग्र वार्षिक कार्य निष्पादन का आकलन करने का एक महत्वपूर्ण घटक होगा।

ये दिशा-निर्देश विस्तृत नहीं हैं और क्षेत्रीय रेल/रेल सुरक्षा विशेष बल, रेल सुरक्षा बल में भ्रष्टाचार की पूर्ण असहिष्णुता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त एहतियाती उपाय कर सकते हैं।

संजय चन्दर
11/3/22

(संजय चन्दर)
महानिदेशक/रे.सु.ब.